संचिका संख्या बी०एस०-3 /D231/86 पत्रांक 4410 दिनांक 02-6-14

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना

निबंधित संस्था में लाए गए संशोधन को

अभिलिखित करने का प्रमाण-पत्र

अखिल भारतीय शिल्प कला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान .... के संबंध में।
(संस्था का अद्यतन नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा दाखिल निम्नलिखित आलेख्य संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के उपबंध के अनुसार अभिलिखित किया जाता है।

संस्था के नाम परिवर्तन की सूचना /(पूर्व नाम "अखिल भारतीय शिल्प कला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान" .... निबंधन संख्या 469/86-87 .... वर्ष, परिवर्तन नाम "पराग एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी" पता परिवर्तन की सूचना) पूर्व पता बी/202 श्री कृष्णापुरी, जिला - पटना .... परिवर्तित पता मणिकुंज महावीर पथ, न्यू बंगाली टोला, पोस्टल पार्क, पटना - 800001 ....)/संशोधित स्मृति-पत्र (नया कार्यालय एवं नई कार्यकारिणी, नए उद्देश्य के साथ)/ संशोधित नियमावली (नया नाम के साथ)/ आम सभा के दिनांक 9.5.13 .... एवं दिनांक 11.6.13 .... के प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि ।

NC (हस्ताक्षर) 23/05/14

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्रीमती अर्पणा सिंह, सचिव
"पराग एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी"
मणिकुंज महावीर पथ, न्यू बंगाली
टोला, पोस्टल पार्क, पटना - 800001

को उनके आवेदन/पत्रांक ...... दिनांक 22.10.13 के प्रसंग में अग्रसारित।

कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

NC (हस्ताक्षर) 23/05/14

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना ।

संचिका संख्या-बी0एस0-3:-1029।-86 पत्रांक 440 दिनांक 02-6-14

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना

निबंधित संस्था में लाए गए संशोधन को

अभिलिखित करने का प्रमाण-पत्र

अखिल भारतीय शिल्प कला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान .... के संबंध में।
(संस्था का अद्यतन नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा दाखिल निम्नलिखित आलेख्य संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के उपबंध के अनुसार अभिलिखित किया जाता है।

संस्था के नाम परिवर्तन की सूचना /(पूर्व नाम अखिल भारतीय शिल्प कला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान"................ निबंधन संख्या 469/86-87......... वर्ष, परिवर्तन नाम" पराग एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी"पता परिवर्तन की सूचना) पूर्व पता बी/202 श्री कृष्णापुरी ; जिला - पटना .... परिवर्तित पता मणिकुंज महावीर पथ ; न्यू बंगाली टोला ; पोस्टल पार्क ; पटना - 800001....................)/संशोधित स्मृति-पत्र (नया कार्यालय एवं नई कार्यकारिणी, नए उद्‌देश्य के साथ)/ संशोधित नियमावली (नया नाम के साथ)/ आम सभा के दिनांक 9.5.13......... एवं दिनांक 11.6.13 .... के प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि ।

[signature] 23/05/14

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्रीमती अर्पणा सिंहा ; सचिव
"पराग एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी"
मणिकुंज महावीर पथ ; न्यू बंगाली
टोला ; पोस्टल पार्क ; पटना - 800001

को उनके आवेदन/पत्रांक.......... दिनांक 22.10.13 के प्रसंग में अग्रसारित।

कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

[signature] 23/05/14

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना ।

पत्रांक – सी० एस० 3/10291/ 86 – 123(अ) 90

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

प्रेषक,

मणिभूषण प्रसाद,
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्रीमती अर्पणा सिन्हा, सचिव
"पराग एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी"
मणि कुंज, महावीर पथ, न्यू बंगाली टोला
पोस्टल पार्क, पटना – 800001 (बिहार)

पटना, दिनांक 28-7-14

विषय:–संस्था–"पराग एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी" (निबंधन संख्या–461/86-87) के अभिलेखो की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर विषयांकित संस्था के संशोधित स्मृति पत्र/नियमावली/~~आम सभा के प्रस्ताव एवं प्रमाणपत्र~~ की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत की जाती है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25/07/14

(मणिभूषण प्रसाद)
सहायक निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

अखिल भारतीय शिल्प कला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
का
संशोधित स्मृति–पत्र

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम **पराग एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी** होगा।

2. **निबंधित कार्याल** : इस संस्था का निबंधित कार्यालय–मणि कुंज, महावीर पथ, न्यू बंगाली टोला, पोस्टल पार्क, पटना–800001, बिहार। आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।

3. **कार्यक्षेत्र** : इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4 **उद्देश्य** : संस्था का निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

क) महिला तकनीकि एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र इसमें जरूरत मन्द महिलाओं को सिलाई–टाईपराईटिंग रेडियो मरम्मत करना, साबुन तैयार करना आदि सिखलाया जायेगा तथा अन्य उपयोगी कार्यो की जानकारी भी दी जायेगी।

ख) महिला समाज के मध्य शिक्षा प्रसार करना एवं गृह उद्योग तथा गृह विज्ञान में दक्षता प्राप्त करने हेतु शिक्षण देना।

ग) महिलाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आर्थिक नैतिक एवं मौलिक उत्थान के लिये प्रयत्न करना।

घ) महिलाओं के लिये फोटोग्राफी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

ड़) महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु रेडियो टेलीविजण प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करना।

च) महिलाओं के लिये डिप्लोमा इन म्युजिक ,पेन्टिंग एवं आर्ट के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।

छ) महिलाओं के शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये विशेष कार्यक्रम चलाना।

ज) महिलाओं के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विशेष पुस्तकालय, वाचनालय आदि के निर्माण अवस्था हेतु कार्यक्रम चलाना।

झ) बेरोजगार ,अपंग वृद्धा विधवा तथा जरूरत मंद महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाना।

ट) गरीब एवं असहाय महिलाओं को उद्योग हेतु सरकार से वित्तीय सहायता दिलाने की व्यवस्था करना।

ठ) महिलाओं में परिवार नियोजन की प्रचार प्रसार करना।

ड़) संस्था उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

ढ़) शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन करना, समय–समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही शिक्षा के कार्यक्रमों के संचालन में सरकार की मदद करना , नारी शिक्षा को बढ़ावा देना बालिकाओं के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना एवं साक्षरता कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, प्रोढ़ शिक्षा एवं बालिका एवं नारी शिक्षा तथा शोध संस्थान का संचालन करना।

Arpana Sinha

ण). यह संस्था महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों, युवाओं, युवतियों, अल्पसंख्यकों तथा गरीब लोगों के बौद्धिक एवं ज्ञान के विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, पठन–पाठन कक्ष, अनाथालय, प्राईमरी स्तर से उच्चतर स्तर तक का विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, तकनीकि शिक्षण संस्थान, बाल श्रमिक विद्यालय, छात्रावास , नारी शिक्षा केन्द्र का संचालन करेगी तथा जन–जन को साक्षर बनाने का प्रयास करेगी, सर्व शिक्षा एवं व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम का संचालन में सरकार की मदद करना।

त) बेसहारा, बेरोजगार एवं गरीबी रेखा से नीचे गुजर–वसर करने वाले लोगों एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कटाई, कढ़ाई, बुनाई, एप्लीक निर्माण, गुड़िया निर्माण, लघु उद्योग, कुटिर उद्योग, हस्तकला, हस्त शिल्प कला, मूर्ति कला, गृह उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, चर्म उद्योग, साबुन उद्योग, सर्फ उद्योग, पशुपालन, होजरी उद्योग आदि का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना ।

थ) शिक्षित बेरोजगार दलित, महादलित , अल्पसंख्यक युवक एवं युवतियों ,महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकि प्रशिक्षण संस्थान, कम्प्यूटर, सौफ्टवेयर, हार्डवेयर, ईलेक्ट्रोनिक्स, ईलेक्ट्रीकल्स, रेडियो, टेलिविजन, मोबाईल, इन्टरनेट, मोटर ड्राईविंग, पंखा, कुलर, आशुलिपिक, टंकण कला, पेंटिंग, सौन्दर्य प्रसाधन आदि का प्रशिक्षण देना तथा स्वाबलम्बी बनाने में मदद करना।

द) तकनीकि शिक्षा का प्रचार–प्रसार करने तथा शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वाबलम्बी बनाने के लिए तथा समाज में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए नर्स प्रशिक्षण केन्द्र / ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, पारा मेडिकल एण्ड पारा डेन्टल इंस्ट्रीच्यूट, इंजिनियरिंग कॉलेज, बी0 एड0 , बी0 पी0 एड0, इलेक्ट्रोहोमियो पैथ ट्रेनिंग सेन्टर, केन्सर अस्पताल, टीचर ट्रेनिंग स्कूल, अनुसंधान केन्द्र, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी काराने वाले शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान आदि का संचालन करना तथा प्रशिक्षण देकर स्वाबलम्बी बनाने का प्रयास करना ।

ध). यह संस्था समाज के दलित, महादलित, अल्पसंख्यक ,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के महिलाओं, बालिकाओं में व्याप्त अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, जातिवाद, धर्मान्धता, आतंकवाद, शोषण, नशाखोरी, औषधि दुरुपयोग, हत्या, बलात्कार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, सामाजिक अपराध, वेश्यावृति की रोकथाम, बेटी बचाओं एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल श्रमिक, महिला श्रमिक तथा अन्य सामाजिक कुरितियों के निराकरण हेतु जन चेतना का विकास करेगी तथा सभा, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, आदि का आयोजन करेगी।

न) असाध्य रोग यथा एड्स, कैंसर, कालाजार, कुष्ठ, हेपेटाइटिस बी, एच0 आई0 वी0 संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना तथा पीड़ित व्यक्तियों के लिए आवश्यक चिकित्सा, दवा, स्वास्थ्य सेवा तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा सभा, गोष्ठी, पद यात्रा आदि के माध्यम से रोकथाम एवं उन्मुलन के लिए कार्य करेगी। साथ ही साथ मूक, वधिर, नेत्रहीन, मानसिक रूप से अविकसित लोगों के लिए चिकित्सा, एवं कृत्रिम अंग की व्यवस्था कराने का प्रयास करना।

प) स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न वर्ग के महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य सह उपचार केन्द्र, आरोग्यशाला, परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर, मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर, योग साधना शिविर ,रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जॉच शिविर एवं अन्य शिविर का संचालन करेगी।

फ) कला एवं सास्कृतिक के विकास के लिए नृत्य, संगीत, वाद्ययंत्र आदि के माध्यम से कला का प्रचार–प्रसार करना, कलात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना। महिला कलाकार ,बाल कलाकर एवं युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

Archana Sinha

किलाश सिंह Singh

ब) अल्पसंख्यक एवं अन्य दलित महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी, बच्चों के विकास के लि बालवाड़ी, पालना घर एवं स्वयं सहायता समूह का संचालन करना, जानकारी देना त कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जागरूकता का विकास करना।

भ) समाज के दलित, महादलित, गरीब, असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यकों ,अनाथ बच्चों, महिलाओं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं व सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करेगी।

म) लोगों को स्वच्छता के महत्व तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, सेवा प्राप्त करने क अधिकार के नियमों की जानकारी देना , अल्पसंख्यक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय, कम लागत के आवास शुद्ध पेयजल की सुविधा ,सामुदायिक सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों को लाभान्वित कराने का प्रयास करना।

य) पर्यावरण को प्रदुषण मुक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करना, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना तथा लोगों को गैर पारम्परिक उर्जा के बारे में जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना। वन एवं वन्य प्राणियों, पशु–पक्षियों, जंगली जानवरों, पालतू एवं आवारा पशुओं के कल्याणार्थ कार्य करना पशु कल्याण हेतु जागरूकता कार्यकम तथा पुनर्वास की व्यवस्था का संचालन करना ।

र) बाढ़, अकाल, महामारी, सूखाड़, आगजनी तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य का संचालन करना, पुनर्वास कराना तथा पीड़ितों की सेवा करना।

ल) वन वानिकी, पुष्प वाटिका लगाना ,वन्य जीव–जन्तुओं की रक्षा करना, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना एवं वृक्षारोपण कार्यकम चलाना आम जनता को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए जनमत तैयार करना तथा इसके लिए पत्र–पत्रिका ,स्मारिका ,लघु निबंध के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना।

व) कृषि के विकास के लिए कृषकों को उन्न्त खाद, बीज, कृषि के आधुनिक औजार सिंचाई की सुविधा हेतु बोरिंग, चापाकल, नल कूप की व्यवस्था कराना जैविक कृषि को बढ़ावा देना, वर्मी कम्पोस्ट एवं केचुआ खाद बनाने एवं उपयोग के बारे में कृषकों को जानकारी देना ,कृषि अनुसंधान केन्द्र का संचालन करना तथा असिंचित क्षेत्रों में जल–छाजन कार्यक्रम चलाना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना ।

श) विज्ञान एवं प्रवैधिकी के विकास हेतु कार्यकम का संचालन करना , वैज्ञानिक एवं अनुसंधान कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा नित्य प्रतिदिन किये जा रहे नई–नई खोज की जानकारी आम जनता को पत्र–पत्रिका, हेण्ड विल के माध्यम से देना, ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्र में कार्य करना।

ष) सामाजिक न्याय एवं अधिकारता के क्षेत्र में कार्य करना, महिलाओं, वृद्ध, निःशक्तजन, स्ट्रीट चिल्ड्रन, एवं बाल बाल श्रमीकों , विधवाओं, अनाथ, भीक्षुक, सेक्स वर्कर के कल्याण तथा पुर्नवास हेतु कार्य करना तथा राहत सामग्री की व्यवस्था करना।

Abhay Sinha

दिलाप मिश्रा

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है, वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्य हैं जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है —

क्र0 सं0	नाम,पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1.	श्रीमती शशि सिन्हा पति–श्री सुनील कुमार	म0 सं0–218, गली/मुहल्ला–विवेकानन्दपुरी, ग्राम/नगर–अल्मोड़ा, पटवारी/ले0पा0–अल्मोड़ा, थाना–अल्मोड़ा, पोस्ट ऑफिस–अल्मोड़ा, तहसील–अल्मोड़ा, जिला–अल्मोड़ा।	समाजसेवा	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अर्पणा सिन्हा पति–श्री बालमुकुन्द सिन्हा	कंकड़बाग, शहर/गॉव–पटना, अंचल–पटना सदर, जिला–पटना ।	समाजसेवा	सचिव
3.	श्रीमती कुमारी पुष्पा प्रियंका पति–श्री धीरेन्द्र कुमार	चढुआ, शहर/गॉव–चढुआ, अंचल–कुढ़नी, जिला–मुजफ्फरपुर ।	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष
4.	श्री गणेश प्रसाद पिता–स्व0 शिवनन्दन प्रसाद	न्यू बंगाली टोला, पोस्टल पार्क, जिला–पटना–800001.	समाजसेवा	सदस्य
5.	श्रीमती प्रियंका पति–श्री मनोज कुमार	133 सी, विद्युत विहार, रिंग रोड, किलोकारी, दिल्ली ।	समाजसेवा	सदस्य
6.	श्री राजीव रंजन, पिता–श्री एम0 एन0 सिंह	मु0–गणीपुर, सैदपुरा, रमना, जिला–मुजफ्फरपुर ।	समाजसेवा	सदस्य
7.	जितेन्द्र कुमार सिंह पिता–श्री चन्द्रदेव सिंह	ग्राम–चन्दपुरा, पोस्ट–भगवानपुर, भाया–परसा, जिला–छपरा।	समाजसेवा	सदस्य
8.	श्री सुरेन्द्र मोहन पिता–श्री रामदेव सिंह	ए/101, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आशियाना नगर, पटना–25.	समाजसेवा	सदस्य
9.	श्रीमती पुष्पा सिंह पति–श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह	ग्राम+पोस्ट–केताकी, थाना–देव, जिला–औरंगाबाद।	समाजसेवा	सदस्य

प्रमाणित किया जाता है कि यह वर्तमान की कार्यकारिणी समिति की सच्ची प्रति है ।

Shashi Sinha
अध्यक्ष

Kumari Pushpa Priyanka
कोषाध्यक्ष

Arpana Sinha
सचिव

अखिल भारतीय शिल्प कला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की

संशोधित नियमावली

1) **परिभाषा** :

क) संस्था से अभिप्राय है : **पराग एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी**

ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

घ) वर्ष से अभिप्राय है : 1 ली अप्रैल से 31 मार्च तक ।

ड) ऐक्ट से अभिप्राय है : सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860.

2) **सदस्यता** :

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का होगा ओर जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करेगा संस्था का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने के लिये आवेदन देना होगा। जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। सदस्यता शुल्क का निर्णय कार्यकारिणी समिति समयानुसार करेगी।

3) **सदस्यता से विमुक्ति** :

निम्न दशाओं में सदस्यता से वंचित हो सकते हैं :–

क) स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

ख) मृत्यु या पागल होने पर।

ग) संस्था के नियम विरूद्ध आचरण करने पर।

घ) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

ड़) बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

च) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।

4) **कार्यकारिणी समिति का गठन** :

क) संस्था की व्यवस्था कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें पदाधिकारी सहित नौ सदस्य होंगे ।

ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा में होगा।

ग) समिति का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा। निवृत सदस्य पुनः निर्वाचित किये जा सकते हैं ।

घ) समिति में कोई पद रिक्त होने पर समिति उक्त पद पर शेष अवधि के लिये किसी अन्य सदस्य को मनोनीत कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में उसका विधिवत चुनाव करा लेना होगा।

5) **कार्यकारिणी समिति के कार्य एवं अधिकार** :

क) सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करना।
ख) संस्था की सम्पत्ति का उत्तरदायी होना।
ग) वार्षिक विवरण तैयार करना एवं आम सभा में उपस्थापित करना।
घ) संस्था के उद्देश्यं की पूर्ति के लिये अन्य वैधानिक कार्य करना।
ड़) संस्था के हित में जो भी वैधानिक कार्य आवश्यक एवं हितकर प्रतीत हो उस पर विचार करना।
च) राज्य के अन्य भागों में इसकी शाखा खोलना।

6) **पदाधिकारियों का कर्त्तव्य एवं अधिकार** :

अध्यक्ष :

क) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।
ख) संस्था के कार्यो पर निगरानी रखना।
ग) संस्था के उद्देश्य के प्रतिकूल कार्यवाही रोकना।
घ) विशेष परिस्थिति में किसी विषय पर अपना निर्णायक मत देना।

सचिव :

क) प्रत्येक बैठक का आयोजन करना।
ख) बैठक के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
ग) सभी कार्यवाही कार्यवाही पंजी में अंकित करना।
घ) संस्था की प्रगति से प्रत्येक सदस्य को अवगत कराना।
ड़) आय–व्यय विवरण एवं वार्षिक प्रतिवेदन आम सभा में प्रस्तुत करना।
च) आवश्यकतानुसार समिति की पूर्वानुमति बिना 5000/–रूपया तक व्यय करना।

कोषाध्यक्ष :

क) संस्था के आय–व्यय का लेखा रखना।
ख) सदस्यों एवं गैर सदस्यों से मिलने वाली सभी रकम को पंजी में अंकित करना रसीद देना।
ग) संस्था के आय व्यय का अंकेक्षण कराना।
घ) संस्था के कोष को किसी निबंधित बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा करना।

7) **बैठक** :

1. कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी ।
2. साधारण सदस्यों को बैठक वर्ष में एक बार होगी।
3. बैठक की तिथि आदि का निर्धारण सचिव अध्यक्ष की राय से करेंगे।
4. कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व एवं वार्षिक बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी। कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक 24 घण्टे या तीन दिन की सूचना पर भी बुलायी जा सकती हैं ।

5. दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को बैठक एक माह के अन्दर बुलाना होगा। आवेदकों को आवेदन मे विषय का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
6. यदि बैठक एक महीना के अन्दर सचिव द्वारा नहीं बुलायी जाती है तो सदस्यों द्वारा बैठक बुलायी जा सकती है।

8) **कोरम :**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा । कोरम के आभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी तथा स्थगित बैठक के लिये पुनः कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

9) **आय का साधन :–**

1. सदस्यता शुल्क ।
2. सरकारी अनुदान।
3. चन्दा, दान ।

10) **पंजी का निरीक्षण :–**

सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी संस्था के निबन्धित कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। जहॉ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से उसका निरीक्षण कर सकेगा।

11) **निधि का अंकेक्षण :**

क) संस्था के आय–व्यय का लेखा समुचित रुप से रखा जायेगा और प्रतिवर्ष आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से अंकेक्षित कराया जायेगा।

ख) निबंधन महानिरीक्षक कभी भी अपने विवेक से संस्था की निधि का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त अंकेक्षक से करा सकते हैं और इस हेतु अंकेक्षक का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

12) **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :**

क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख) संस्था के आय–व्यय लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।

ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

13) **कोष का संचालन :**

संस्था के कोष का संचालन संस्था के नाम खुले डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा की जायेगी तथा सभी रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

(81)

14) **कानूनी कार्रवाई** :
संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

15) **नियमावली में संशोधन** :
नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर हीं किया जायेगा ।

16) **विघटन** :
क) अगर किसी कारणवश संस्था का विघटन करना पड़े तो विघटन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर हीं किया जायेगा।
ख) विघटन के पश्चात संस्था की सम्पत्तिं जो ऋण इत्यादि चुकाने के बाद बचेगी वह किसी सदस्य या गेर सदस्य के बीच नहीं वितरित की जायेगी बल्कि किसी समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी। यह निर्णय भी आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से किया जायेगा।
ग) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा–13 कें आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद हीं किया जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सच्ची प्रति है ।

Shashi Sinha — अध्यक्ष
Kumari Pushpa Priyanka — कोषाध्यक्ष
Archana Sinha — सचिव

"पराग एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी"
(पटना) निबंधन संख्या – 80000।

II आम सभा का प्रस्ताव, संशोधित स्मृति पत्र एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि ।

KC 23/07/14
वास्ते नि० महा०

मिलान किया

KC 23/07/14

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

158367

681 20/06/2014 200

अपर्णा सिन्हा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

58366

68 ... 02/06/2014 ...

..../1972